प्रेस नोट
दिनांक 27.03.2026
जनपद - गोण्डा।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध परिवहन व भण्डारण करने के 03 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 01 कार व 14 सिलेण्डर बरामद-

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक द्वाच्यॉ के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध परिवहन व भण्डारण करने के 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 01 कार व 14 अदद गैस सिलेण्डर बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
जनपद गोण्डा में अवैध एलपीजी गैस सिलेंडरों के भण्डारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत दिनांक 26.03.2026 को थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 कार 03 अभियुक्तों के कब्जे से कुल 14 घरेलू गैस सिलेण्डर बरामद किए गए। जांच में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण कर कालाबाजारी की जा रही थी, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम व संबंधित नियमों का उल्लंघन है। इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक विकास खण्ड परसपुर की जाँच के पश्चात जिलाधिकारी महोदया जनपद गोण्डा के अनुमोदित प्रा0 पत्र पर थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का विवरण-
1. बृजेश कुमार पासवान उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री मिश्रीलाल निवासी ग्राम खैरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा,
2. अंगद पासवान उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र श्री गोली निवासी ग्राम अकौनी डरौली डीहा थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा,
3. राम दुलारे मौर्या उम्र करीब 28 वर्षपुत्र श्री सुकई निवासी ग्राम अकौनी डरौली डीहा थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0 122/2026 धारा 3/7 E.C ACT थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
1. 10 घरेलू गैस सिलेण्डर (भरे)
2. 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (खाली)

गिरफ्तार कर्ता टीम-
1. व0उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह
2. कां0 योगेन्द्र यादव
3. कां0 अजय सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 27.03.2026
जनपद – गोण्डा

थाना कोतवाली नगर पुलिस व क्राइम ब्रान्च/साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा कूटरचित बिल/इनवॉइस के माध्यम से स्क्रैप (कबाड़) के अवैध परिवहन कर जीएसटी चोरी करके लगभग 4 करोड़ रु0 के राजस्व को नुकसान पहुँचाने वाले गिरोह का खुलासा, 03 अभियुक्त गिरफ्तार-
कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस व क्राइम ब्रांच/साइबर टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिनके द्वारा कूटरचित (फर्जी) बिल/इनवॉइस के माध्यम से स्क्रैप (कबाड़) का अवैध परिवहन कर लगभग 4 करोड़ रु0 के राजस्व की हानि की गई है। थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च/साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा 1. सूरज गुप्ता उर्फ देवी प्रसाद, 2. शुभम गुप्ता एवं 3. रामतीरथ वर्नवाल को थाना परिसर कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2025 को प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश के निर्देश पर स्क्रैप माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सचल दल इकाई, राज्य कर गोण्डा द्वारा दिनांक 05.09.2025 को मुन्नन खां चौराहे के पास वाहन संख्या CH01TC9871 को जांच हेतु रोका गया। जांच में पाया गया कि वाहन में मिक्स ओल्ड आयरन स्क्रैप का परिवहन कूटरचित एवं दोषपूर्ण प्रपत्रों के माध्यम से किया जा रहा था। वाहन चालक के बयान से ज्ञात हुआ कि स्क्रैप माल नवाबगंज (गोण्डा) से लोड कर गोविन्दगढ़ (पंजाब) भेजा जा रहा था, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों में लोडिंग स्थान सर्वश्री विद्या ट्रेडर्स- रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं डिलीवरी स्थान सर्वश्री अविराज ट्रेडिंग- शिमला (हिमाचल प्रदेश) दर्शाया गया था। ई-वे बिल व पोर्टल जांच में भी यह स्पष्ट हुआ कि वाहन छत्तीसगढ़ गया ही नहीं, जिससे दस्तावेजों की कूटरचना की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त, इनवॉइस में दर्शित वजन (10,010 किग्रा) के सापेक्ष वास्तविक वजन (11,770 किग्रा) पाया गया, जिससे 1,760 किग्रा अतिरिक्त माल बिना कर भुगतान के परिवहन किए जाने की आशंका प्रबल हुई। जांच में संबंधित फर्म विद्या ट्रेडर्स (रायपुर) का पंजीकरण भी निलंबित पाया गया तथा फर्म अपने पंजीकृत पते पर संचालित नहीं मिली। समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह कार्यवाही एक संगठित गिरोह द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कर चोरी एवं आर्थिक अपराध करने के उद्देश्य से की जा रही थी। जिसके माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा जीएसटी चोरी करके लगभग 4 करोड़ के राजस्व का नुकसान किया गया है। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की जाँच/विवेचना के क्रम में थाना को0 नगर एवं क्राइम ब्रान्च/साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त सूरज गुप्ता, अभियुक्त शुभम गुप्ता व अभियुक्त रामतीरथ को थाना को0 नगर में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे आपस में मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुए फर्जी फर्मों के नाम से कूटरचित बिल/इनवॉइस के आधार पर स्क्रैप (कबाड़) सामग्री को विभिन्न स्थानों से लोड कराकर पंजाब समेत अन्य स्थानों पर भेजा जाता था। अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि इसी प्रकार से फर्जी ई-वे बिल के माध्यम से लगभग 100 से अधिक गाड़ियों को भेजा गया है जिससे लगभग 4 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी करके राजस्व हानि की गई है। अभियुक्तगण वाहनों को फर्जी मोबाइल नंबरों के माध्यम से निर्देशित करते थे तथा परिवहन के दौरान कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः

1. सूरज गुप्ता उर्फ देवी प्रसाद पुत्र रामबदल गुप्ता निवासी ग्राम पाण्डेय टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा (वर्तमान पता – सेक्टर-26, बापूधाम कॉलोनी, चण्डीगढ़)
2. शुभम गुप्ता पुत्र सतीश कुमार गुप्ता, निवासी पड़ाव, थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा
3. रामतीरथ वर्नवाल पुत्र छोटेलाल वर्नवाल, निवासी ग्राम चौकिया थाना लंभुआ जनपद सुल्तानपुर

बरामदगी:

1. 04 अदद मोबाइल फोन (OPPO, VIVO व ITEL कंपनी के)
2. 02 अदद आधार कार्ड
3. 01 अदद पैन कार्ड

आपराधिक इतिहास-
श्री मुनि जी ट्रांसपोर्ट कं० RA फोकल, सर्वश्री विद्या ट्रेडर्स एवं सर्वश्री अविराज ट्रेडिंग कं0 पर पंजीकृत अभियोग :-

1. मु0अ0सं0 0715/2025 धारा 3(5), 318(4), 111, 336(3), 338, 339, 340(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 - 690/25 - धारा 318 (4) बी0एन0एस० थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद उ०प्र०।
3. मु0अ0सं0 - 285/25 - धारा 111, 3(5), 318(4), 336(3), 338, 339, 340 (2) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उ०प्र०।
4. मु0अ0सं0 - 502/25 धारा 318 (4) थाना कैण्ट जनपद बरेली उ०प्र०।
5. मु0अ0सं0 - 686/25 - धारा 318 (4) थाना कोतवाली सिटी जनपद हरदोई उ०प्र०।
6. मु0अ0सं0 - 203/25 धारा 318(4), 319 (2) थाना चेतगंज काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) उ०प्र०।
7. मु0अ0सं0 - 727/25 - धारा 318(4), 319 (2) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उ०प्र०।

अभियुक्त रामतीरथ बर्नवाल का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 - 71/2019 धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना को0 देहात जनपद सुल्तानपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

1. उ0नि0 ब्रह्मानन्द सिंह कोतवाली नगर, गोण्डा
2. उ0नि0 अंगद सिंह (क्राइम ब्रांच)
3. कां0 हरिओम टण्डन (साइबर टीम)
4. कां0 प्रभाकर थाना

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
जनपद – गोण्डा
दिनांक – 27.03.2026

जिलाधिकारी गोण्डा एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना छपिया क्षेत्र में नव-निर्मित श्री स्वामी नारायण पुलिस चौकी का किया गया उद्घाटन-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने थाना छपिया में नव-निर्मित आधुनिक पुलिस मेस का किया उद्घाटन-

जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना छपिया क्षेत्रांतर्गत नव निर्मित स्वामी नारायण पुलिस चौकी का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि नई पुलिस चौकी के निर्माण से क्षेत्र में पुलिस की पहुँच और अधिक सशक्त होगी तथा आमजन को त्वरित सहायता उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस नई चौकी के संचालन से अपराध नियंत्रण, गश्त व्यवस्था तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने उपस्थित पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वे आमजन के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखते हुए उनकी समस्याओं का शीघ्र एवं निष्पक्ष निस्तारण करें। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना छपिया परिसर में नवनिर्मित आधुनिक पुलिस मेस का भी उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेस का निरीक्षण कर वहाँ उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिक दक्षता एवं मनोयोग से कर सकें। कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, वामासारथी अध्यक्षा श्रीमती तनवी जायसवाल, क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल, थाना प्रभारी छपिया सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा